(वाद संख्या–**2177/19**)

01.09.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, अंकित कुमार यादव के भाई, सोनू कुमार यादव, की दिनांक–13.02.2019 से थानाध्यक्ष, गुठनी, पुलिस निरीक्षक, मैरवा एवं पुलिस अधीक्षक, सिवान को लापता होने की सूचना दिये जाने के बावजूद भी अभी तक उक्त पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सिवान से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, सिवान के प्रतिवेदनानुसार दिनांक–13.02.2019 को गुठनी थाना के पुलिस को यह सूचना मिली की ग्राम–बरपलिया में सड़क दुर्घटना में एक बोलेरो गाड़ी का चालक तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी को चलाते हुए एक दस वर्षीया बच्ची को कुचलकर चालक अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गया है उक्त जख्मी बच्ची को ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल, गुठनी लाया गया जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के आलोक में मृतिका निशा कुमारी की माता के लिखित आवेदन के आधार पर बोलेरो गाड़ी सं0–जे0एच0 09 एफ–9022 के अज्ञात चालक के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं–279/304(ए) के अन्तर्गत गुठनी थाना कांड सं0–25/19, दिनांक–13.02.2019 संस्थित किया गया। दुर्घटना कारित करने वाले उक्त बोलेरो का संदिग्ध चालक परिवादी का भाई, सोनू कुमार यादव था। उसी केस से बचने के लिये परिवादी द्वारा प्रसंगाधीन परिवाद राज्य आयोग के समक्ष दिया गया है। प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त कांड वर्त्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है।

पुलिस अधीक्षक, सिवान के उपरोक्त आशय के प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा उसके भाई सोनू कुमार यादव के गायब होने से संबंधित घटना की सी0आई0डी0 से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रसंगाधीन मामला से संबंधित एक आपराधिक मामले गुठनी थाना कांड सं0–25/19 वर्त्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है, जिसमें परिवादी का भाई एक संदिग्ध अभियुक्त है। किसी आपराधिक घटना के अनुसंधानान्तर्गत रहने के क्रम में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है। परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि सक्षम न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

तद्नुसार परिवादी को भी सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक